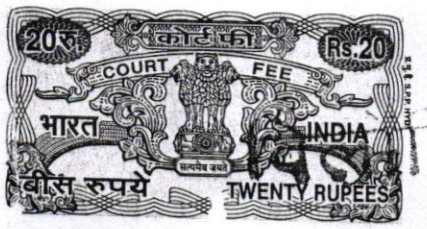

(8)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा/2018/1430

चन्द्रभान पुत्र छन्नूलाल कौरव , आयु 72 वर्ष , निवासी ग्राम कोठरी तहसील बनखेडी ~~तहसील~~ होशंगाबाद म.प्र.

..... आवेदक

बनाम

श्रीमती यशोदाबाई पत्नी श्यामलाल यादव निवासी झिरिया तहसील बनखेडी होशंगाबाद म.प्र.

..... अनावेदक

विनोद श्रीवास्तव
26-2-018
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 14-3-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

जिला

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय अपर आयुक्त , नर्मदापुर सभाग होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्रमांक 264/ 2016- 17 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.11.2017 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2018/1430

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-11-2018	आवेदक अभिभाषक श्री जे.एस. कुशवाह, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया जिला होशंगाबाद ने अपने आदेश दिनांक 13-7-2017 द्वारा प्रकरण में म.प्र. समाज के कमजोर वर्गों के कृषि भूमि धारकों को उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण एवं मुक्ति अधिनियम, 1976 (जिसे संक्षेप में कुचक्रों से परित्राण एवं मुक्ति अधिनियम कहा जायेगा) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने के आदेश दिये गये हैं तथा उभय पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होने के निर्देश भी दिये गये हैं । आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 23-11-2017 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई, जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2/ उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत अपील और निगरानी की कार्यवाही के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कुचक्रों से परित्राण एवं मुक्ति अधिनियम के तहत जो कार्यवाही की जानी थी, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है । उभय पक्ष द्वारा इस न्यायालय के समक्ष सहमति दी गई है कि वह इस निगरानी को चलाने के इच्छुक नहीं हैं तथा वह अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कुचक्रों से परित्राण एवं मुक्ति अधिनियम के तहत प्रकरण में होने वाली कार्यवाही में भाग लेने के लिए सहमत हैं । अतः यह निगरानी समाप्त की जाती है । उभय पक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 4-12-2018 को उपस्थित हों । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाये । अध्यक्ष	